सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड (केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्य एस साथ इसे देख सकें।"

(ख) से (घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के उपबंधों तथा इसके तहत जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आशयित सभी फिल्मों की जांच की जाती है। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रमाणपत्र हेतु फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगा कि अशिष्टता, अश्लीलता अथवा दुराचारिता द्वारा मानव संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए तथा दोहरे अर्थ वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हो। मार्गनिर्देशों के तहत आपत्तिजनक समझे गए फिल्म के भाग को प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व काट दिया जाता है। वे फिल्में, जिनका प्रदर्शन अवयस्कों के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है, उनको "ए" (वयस्क) प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। बोर्ड के विचार से ऐसी फिल्मों के मामले में, जहां आपत्तिजनक प्रभाव को काट-छांट द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, उनको प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किए जाते। यह उल्लेखनीय है कि गानों आदि की श्रव्य कैसेटों, जिन्हें अधिकतर मामलों में फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले लोगों में जारी कर दिया जाता है, उनपर चलचित्र अधिनियम लागू नहीं होता। अतः ऐसी कैसेटों पर बोर्ड का कोई नियन्त्रण नहीं है।

उत्तर प्रदेश में उच्च शक्ति/कम शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटरों को स्थापित किया जाना

1531. **श्रीमती सत्मा बहिन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से हैं, जहां पर उच्च शक्ति अथवा निम्न शक्ति के टीवी ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की स्वीकृति दिए जाने के बाद इन्हें भी अब तक स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) इन्हें स्थापित किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित टी०वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु औपचारिक रूप से स्वीकृत स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं :—

उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर—मऊ।

अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर—अलमोड़ा, ओरैया, चम्पावत, गंजडुडवारा, हल्द्वानी, कोट-द्वारा, महोबा, मऊ-रानीपुर, मुहम्मदाबाद, नौगढ़ न्यू टिहरी तथा सिकंदरपुर।

अति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर—चौखटिया, डीडीहाट, जोशीमठ तथा बागेश्वर।

उपस्कर तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उपर्युक्त ट्रांसमीटर परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से वर्ष 1995 तक चालू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, निम्नलिखित टी० वी० ट्रांसमीटरों को स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है :—

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-बलरामपुर, बांदा/अटारा, लखीमपुर तथा सीतापुर।

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर—रूदौली, कासगंज, कर्णप्रयाग, मानपारा, एटा, बसोट/भिकियासेन और लालगंज।

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर—चमोली, देव-प्रयाग, लैन्सडाउन, प्रतापनगर, बिनसार तथा कलजीखाल।